

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधिवक्ता
वादी एवं वादीगण के नाम से अलग-अलग
समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई।
कोई उपस्थित नहीं।
इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी
एवं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर
नहीं हैं। *
लिहाजा वादी का वाद 'अदम पेंखी' व
'अदम हाजिरी' में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।
पत्रावली फैसल शुमार होकर द्वाखिल
दफ्तर हो व नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर
(SDO), जयपुर

13-01-25

सहायक कलक्टर
(SDO), जयपुर

